न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 02/2019

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला—पाली

1. फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला—पाली।
2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत प्रति0 सं0 02 स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 22.03.2022

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सिसरवादा प0ह0 भैसाणा, तहसील सोजत में वादी व अन्य प्रति0 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 140 खसरा नम्बर 8 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.4100 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.7700 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.8200 हैक्टर किस्म बा0अ0व वर्तमान खाता संख्या 141 के खसरा नम्बर 571 रकबा 6.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 573 रकबा 1.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 1.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 576/794 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 577 रकबा 6.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 661 रकबा 8.6600 हैक्टर, खसरा नम्बर 661/789 रकबा 0.7100 , खसरा नम्बर 662 रकबा 7.9600 हैक्टर कुल खसरा 11 कुल रकबा 33.8300 हैक्टर चा0अ0 जा0अ0 गै0मु0धोरा, बेरा उकडा व पिचका तथा खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 570/2 रकबा 0.0600 हैक्टर गै0मु0 बाड़ा की स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी हक हकुक कब्जा काश्त की है। जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि में वादी के पिता पदमसिंह पुत्र भोपालसिंह एवं अन्य सह खातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त स्थित थी। वादी के पिता पदमसिंह के स्वर्गवास के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया गया। जिस समय पदमसिंह के विधिक वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। उस समय वादी का नाम फतेहसिंह दर्ज कर दिया गया तथा वादी के अन्य भाई जोरसिंह, गिरधारीसिंह, नाहरसिंह एवं माता छगन कंवर का भी नाम दर्ज किया गया था। चूँकि वादी को फतेहसिंह एवं नरेन्द्रसिंह दोनो नामो से जाना एवं पहचाना जाता था। बचपन में वादी का नाम फतेहसिंह के नाम से पुकारा जाता था तथा वादी के शैक्षणिक दस्तावेजो में नरेन्द्रसिंह के नाम से दर्ज करवा दिया गया था, जिससे वादी के अन्य दस्तावेजात नरेन्द्रसिंह के नाम से चले आ रहे है। लेकिन खातेदारी भूमि में फतेहसिंह दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह के नाम से पक्षकार बनाये गये है। क्योंकि राजस्व रेकर्ड में फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह नाम इन्द्रजा चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम फतेहसिंह दर्ज हो जाने से एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, परिवारकार्ड में वादी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

पदमसिंह के नाम से होने से वादी को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी का बैंक खाता भी नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह नाम से है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में फतेहसिंह नाम दर्ज हो जाने से वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण भी नही ले सकता तथा राज्य सरकार की ओर से जारी विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे वादी को भारी क्षति हो रही है। इसलिये राजस्व रेकर्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसलिये यह वाद बाबत घोषित करने फतेहसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी दर्ज करने एवं राजस्व रेकर्ड में रेकर्ड दुरूस्ती हेतु यह वाद न्यायालय हाजा में पेश है। वादी ने राजस्व अभियान के दौरान भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन तहसीलदार सोजत द्वारा नियमित वाद पेश कर रेकर्ड दुरस्त करने की हिदायत दी गई। इसलिये राजस्व रेकर्ड में राजस्व अभियान के दौरान रेकर्ड दुरस्त नहीं करने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ। उक्त कृषि भूमि ग्राम सिसरवादा में स्थित होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह नाम दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रति0 संख्या 2 ने जबाब दावा पेश कर वाद पत्र के तथ्यों का कानूनी तथा स्वयं सिद्ध किये जाने का उल्लेख कर शुद्धि राजस्व रेकर्ड किये जाने में कोई आपत्ति न होना अंकित किया है। दिनांक 04.11.2021 को वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/कैम्प/844 दिनांकः– 24/11/2021 के अनुसार न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 02/2019 अनवान नरेन्द्रसिंह बनाम फतेहसिंह में प्राप्त रिपोर्टानुसार उक्त खसरान में प्रार्थी का नाम फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह दर्ज है, जबकि इनका अन्य दस्तावेज में नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह दर्ज है। पदमसिंह के फतेहसिंह नाम से पुत्र नहीं है। इनका वास्तविक नाम नरेन्द्रसिंह है। पदमसिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में इनका नाम फतेहसिंह दर्ज हो गया, जबकि वास्तविक नाम नरेन्द्रसिंह ही है।तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत पटवारी मौका फर्द में सह खातेदारो के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी अंकित है तथा रिपोर्ट के सलंग्न सरपंच ग्राम पंचायत भैसाणा दिनांक 24.11.2021 में भी तस्दीक की है जो सा0मि0 पत्रावली है।

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, प्रार्थी स्वयं का निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी अंक–तालिका, ग्राम पंचायत द्वारा पहचान का प्रमाण पत्र पेश किये, सा0 मिसल है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वादी का गलत रूप से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाम फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह गलत रूप से मानवीय/सदभाविक चूंक/भूलवश अंकित कर दिया गया जबकि वास्तविक रूप से वादी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह होना बखूबी साबित होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में फतेहसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा, तहसील सोजत में वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 8 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.4100 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.7700 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.8200 हैक्टर व खाता संख्या 141 के खसरा नम्बर 571 रकबा 6.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 573 रकबा 1.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 1.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 576/794 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 577 रकबा 6.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 661 रकबा 8.6600 हैक्टर, खसरा नम्बर 661/789 रकबा 0.7100 , खसरा नम्बर 662 रकबा 7.9600 हैक्टर कुल खसरा 11 कुल रकबा 33.8300 हैक्टर तथा खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 570/2 रकबा 0.0600 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह गलत रूप से मानवीय/सदभाविक चूॅक/भूलवश अंकित कर दिया गया। लिहाजा फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह के स्थान पर वास्तविक रूप से वादी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला–पाली		1. फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला–पाली। 2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 02/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी तथा प्रतिवादी संख्या 02 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा ग्राम सिसरवादा, तहसील सोजत में वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 8 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 1.4100 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.7700 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.8200 हैक्टर व खाता संख्या 141 के खसरा नम्बर 571 रकबा 6.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 573 रकबा 1.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 1.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 576/794 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 577 रकबा 6.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 661 रकबा 8.6600 हैक्टर, खसरा नम्बर 661/789 रकबा 0.7100 , खसरा नम्बर 662 रकबा 7.9600 हैक्टर कुल खसरा 11 कुल रकबा 33.8300 हैक्टर तथा खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 570/2 रकबा 0.0600 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह गलत रूप से मानवीय/सदभाविक चूंक/भूलवश अंकित कर दिया गया। लिहाजा फतेहसिंह पुत्र पदमसिंह के स्थान पर वास्तविक रूप से वादी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.03.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			